फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली

पवन बनाम हरदान

संख्या/वर्ष /20

प्र० 47 राज.टी. अधि.

तारीख आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16/7/25	अर्थी व वादी / अर्थी एवं अर्थी व वादी अर्थी का मूल वाद में बीच झगड़ा सीमा के चल रहा है, जो इस फसल में खसरा माना गया। अर्थी व वादी अर्थी / वादी का वाद लोक अदालत की मार्फत के प्राप्ति हेतु वाद नहीं चलाना चाहते हैं तथा कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। उक्त समझौता वादी का वाद खारिज करा गया चुका है। चूंकि 70 प्र राज.टी. Act दावे का पात्र है। इसलिए अर्थी आवेदन-पत्र को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अर्थी का आवेदन-पत्र खारिज किया जाता है। फसली निर्णित खसरा हेतु दर्ज रजिस्टर के आदेश।	

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)